भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 956
25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

किडनी प्रत्यारोपण

†956. श्री अनिल यशवंत देसाईः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में किडनी रोगियों और किडनी प्रत्यारोपण के आंकड़ों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने देश में अंग प्रत्यारोपण के संबंध में कोई दिशानिर्देश/नियम जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या परिवार से बाहर के व्यक्ति द्वारा किडनी प्रत्यारोपण के स्थायित्व या सुरक्षा के संबंध में कोई आशंका है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या कुछ डॉक्टरों और अस्पतालों की मिलीभगत से किडनी रैकेट चलाने वाले लोगों द्वारा किए जा रहे कदाचारों के बारे में कोई रिपोर्ट आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): किडनी प्रत्यारोपण की आवश्यकता वाले अंतिम चरण में गुर्दे की बीमारी से पीड़ित रोगियों की सही संख्या की सूचना नहीं दी गई है। हालाँकि, 21.07.2025 तक राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (नोट्टो) द्वारा अनुरक्षित राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण रजिस्ट्री (एनओटीटीआर) में मृतक दाता से किडनी प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ता के रूप में पंजीकृत रोगियों की संख्या 71748 है। वर्ष 2024 के दौरान देश में किए गए किडनी प्रत्यारोपण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक** में संलग्न है।

(ख): भारत सरकार ने चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए मानव अंगों और ऊतकों के निष्कासन, भंडारण और प्रत्यारोपण के नियमन और मानव अंगों और ऊतकों में वाणिज्यिक लेनदेन की रोकथाम के लिए मानव अंग और ऊतक के प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (2011 में संशोधित) को अधिनियमित किया है और मानव अंग और ऊतक के प्रत्यारोपण नियम, 2014 को अधिसूचित किया है। उपर्युक्त अधिनियम और नियम अंग पुनर्प्राप्ति और प्रत्यारोपण से संबंधित प्रक्रियाओं को परिभाषित करते हैं। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम के एकसमान कार्यान्वयन के उद्देश्य से (https://notto.mohfw.gov.in/sop.htm) पर उपलब्ध मानक

संचालन प्रक्रियाएँ (एसओपी) और निम्नलिखित दिशानिर्देश (https://notto.mohfw.gov.in/guidelines.htm) जारी किए गए हैं:

i. एनओटीपी संचालन दिशानिर्देश
ii. अद्यतन एनओटीपी संचालन दिशानिर्देश
iii. गुर्दे के लिए अद्यतन आवंटन मानदंड
iv. यकृत के लिए अद्यतन आवंटन मानदंड
v. हृदय, फेफड़े और हृदय-फेफड़े के लिए आवंटन मानदंड
vi. कॉर्निया के लिए आवंटन मानदंड
vii. नोट्टो प्रत्यारोपण नियमावली
viii. प्रत्यारोपण समन्वयकों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम

(ग) और (घ): स्वास्थ्य और कानून एवं व्यवस्था राज्य के विषय हैं। अंगों के अवैध व्यापार/वाणिज्यिक लेन-देन की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्रवाई करना और उसकी निगरानी रखना मुख्य रूप से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है। मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम (टीएचओटीए) 1994 के अंतर्गत, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा समुचित प्राधिकारी को नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। इस अधिनियम के अंतर्गत, राज्य के उपयुक्त प्राधिकारी को इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम के उल्लंघन की किसी भी शिकायत की जाँच करने और उचित कार्रवाई करने का अधिकार है।

गुर्दा प्रत्यारोपण की स्थायित्व और सुरक्षा के संबंध में, प्रत्यारोपण का परिणाम आयु, लिंग, बॉडी मास इंडेक्स, रक्त समूह मिलान, एचएलए मिलान, रोग की गंभीरता, सह-रुग्णता आदि जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है।

राज्यों को राज्य स्तर पर प्रत्यारोपण कार्यक्रम को और सुदृढ़ बनाने के लिए सक्रिय कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। राज्य एनओटीपी के माध्यम से केंद्र से आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। एनओटीपी के अंतर्गत, प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्यों को अनुदान प्रदान किया जाता है, जिसमें आरओटीटीओ और एसओटीटीओ की स्थापना, अंग प्रत्यारोपण/पुनर्प्राप्ति केंद्र और ऊतक बैंक स्थापित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में अवसंरचना को बढ़ाना, सरकारी मेडिकल कॉलेजों और ट्रॉमा सेंटरों द्वारा प्रत्यारोपण समन्वयकों की भर्ती, मृतक दाताओं का रखरखाव, अंग परिवहन, प्रत्यारोपण के बाद प्रतिरक्षा-दमनकारी दवाएं, जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण क्रियाकलाप आदि शामिल हैं।

अनुलग्नक

वर्ष 2024 के दौरान देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार किए गए गुर्दा प्रत्यारोपणों की संख्या (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार)

क्र. सं.	**राज्य/**संघ राज्य क्षेत्र	**कुल**
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0
2.	आंध्र प्रदेश	410
3.	अरुणाचल प्रदेश	0
4.	असम	70
5.	बिहार	31
6.	चंडीगढ़	317
7.	छत्तीसगढ	76
8.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0
9.	दिल्ली	2490
10.	गोवा	10
11.	गुजरात	1018
12.	हरियाणा	118
13.	हिमाचल प्रदेश	9
14.	जम्मू और कश्मीर	48
15.	झारखंड	9
16.	कर्नाटक	516
17.	केरल	1139
18.	लद्दाख	0
19.	लक्षद्वीप	0
20.	मध्य प्रदेश	318
21.	महाराष्ट्र	1461
22.	मणिपुर	40
23.	मेघालय	0
24.	मिजोरम	0
25.	नागालैंड	0
26.	ओडिशा	180
27.	पुदुचेरी	61
28.	पंजाब	466
29.	राजस्थान	604
30.	सिक्किम	0
31.	तमिलनाडु	1796
32.	तेलंगाना	821
33.	त्रिपुरा	2
34.	उत्तर प्रदेश	447
35.	उत्तराखंड	16
36.	पश्चिम बंगाल	1003

******